



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(1)कार्मिक/क-1/ 2021

जयपुर, दिनांक : 23-09-2021

आज्ञा

श्रीमती गायत्री ए. राठौड, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, राजस्थान, जयपुर अपने पद के कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष, राजस्थान हैरिटेज संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण (आरएचपीपीए), जयपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संपादित करेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 अनुसंधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 सिस्टम-एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 2 प्रमुख आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

संयुक्त शासन सचिव